उत्तराखंड शासन
संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ (वित्त)
संख्या - 04 /सी0एम0 आर0(E-32598)/स0 वि0 प्र0/2026
देहरादून: दिनांक 06 जनवरी,2026

प्रमुख सचिव/सचिव
एम0एस0एम0ई0/ ग्राम्य विकास/ वित्त/ यू0एस0आर0एल0एम0/
राजस्व/ उरेडा/ कृषि/ पशुपालन/ मत्स्य/ उद्यान/ पर्यटन/ उद्योग/
शहरी विकास/ समाज कल्याण/गृह
उत्तराखण्ड शासन।

विषय: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तराखण्ड की 94वीं बैठक दिनांक 27 नवम्बर, 2025 का सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमोदित कार्यवृत

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भ में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तराखण्ड की 94वीं बैठक दिनांक 27.11.2025 का सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमोदित कार्यवृत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त करना चाहें।

(नरेन्द्र कुमार)
सलाहकार बैंकिंग, (वित्त)

संख्या - 04/सी0एम0 आर0(E-32598)/स0 वि0 प्र0/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि: 1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव, वित्त महोदय के अवलोकनार्थ।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को सचिव, वित्त महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव, वित्त महोदय के अवलोकनार्थ।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखंड।
6. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, प्लाट न0 16 एवं 17 आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।
7. मुख्य महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड), 41, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।
8. निदेशक डाक सेवाएँ जी0पी0ओ0 कम्पाउन्ड घंटाघर देहरादून।
9. निबंधक, सहकारी समितियां , देहरादून।
10. रिजनल हैड, आई0पी0पी0बी0, देहरादून।
11. सहायक निदेशक (सी) दूरसंचार विभाग, यू0पी0(पश्चिम) ए, एल0एस0ए0, देहरादून।
12. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड, भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय, 1 न्यू केंट रोड, देहरादून को उनके पत्रांक 2025-26/एस0एल0बी0सी0/174 दिनांक 22.12.2025 के क्रम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नरेन्द्र कुमार)
सलाहकार बैंकिंग, (वित्त)

कार्यवृत

94वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की दिनांक 27 नवंबर, 2025

को सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक

बैठक में उपस्थिति संलग्न विवरणानुसार रही।

बैठक के प्रारम्भ में सदन को सम्बोधित करते हुए सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत् अवगत कराया गया :

- वित्तीय वर्ष 2025–26 के द्वितीय त्रैमास में राज्य के अग्रिमों में ₹2,264 करोड़ और जमा में ₹3,529 की वृद्धि दर्ज हुई, जिससे ऋण–जमा अनुपात 54.26% से बढ़कर 54.40% हो गया।

- MSME योजना में लक्ष्य रु. 29306 करोड़ के सापेक्ष ₹14723.95 करोड़ (113%) ऋण वितरित कर 61,607 इकाईयों को लाभान्वित किया गया।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा 40% से कम CD Ratio वाले जिलों (टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, बागेश्वर) में सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही व जिला/ सेक्टर स्तर पर नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए।

- एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड, आगामी बैठक में सरकारी एवं गैर–सरकारी जमा का पृथक विवरण प्रस्तुत करे। साथ ही, राज्य के सभी बैंकों द्वारा अपने शीर्ष 10 जमाकर्ताओं एवं शीर्ष 10 ऋणकर्ताओं का पृथक से विश्लेषण भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि वास्तविक वृद्धि एवं शीर्ष ग्राहकों के प्रभाव का स्पष्ट आकलन किया जा सके।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/एस.एल.बी.सी.)

बैठक में एजेण्डेवार विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नवत् चर्चा की गयी :

1. कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- राज्य में सममूल्य बंधक (Equitable Mortgage) की सुविधा को सरल एवं सर्वसुलभ बनाने हेतु सभी उपयुक्त केन्द्रों को अधिसूचित केन्द्र घोषित करने हेतु राजस्व विभाग से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिए विभाग को पत्र प्रेषित कर दिया गया था।

- Department of Financial Services (DFS), वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे सभी बैंकों को स्वामित्व कार्ड योजना पर अपना Circular/SOP जारी करने हेतु निर्देशित करें, परंतु अब तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। बैंकों को स्टैम्प ड्यूटी, मॉर्गेज पद्धति तथा नोटेशन से संबंधित स्पष्टीकरण चाहिए, जो अभी स्पष्ट नहीं है।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- सममूल्य बंधक (Equitable Mortgage) से संबंधित विषय को आगे बढ़ाने तथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु बैंकिंग सलाहकार (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रभावी अनुश्रवण (Pursue) किया जाए।

- एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड, द्वारा सभी बैंक/विभागों से परामर्श लेकर स्वामित्व कार्ड के आधार पर ऋण सुविधा प्रदान किए जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव/गाइडलाइन तैयार की जाए तथा इस विषय पर समिति का एक resolution पारित किया जाए। तत्पश्चात, संबंधित प्रावधानों एवं योजनाओं का संज्ञान लेते हुए एक D.O. पत्र वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) भारत सरकार/भारतीय रिर्जव बैंक, को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करने के लिए प्रेषित किया जाए। संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर स्वामित्व कार्ड आधारित ऋण व्यवस्था के कियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशासनिक/अधिसूचनात्मक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाए, ताकि यह सुविधा राज्य में प्रभावी रुप से लागू हो सके।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी./बैंकिंग सलाहकार)

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India SBI SLBC, A.O.J. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रशासनिक कार्यालय

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)

2. अनक्लेम्ड डिपॉजिट एवं वित्तीय परिसंपत्तियाँ

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **आपकी पूँजी, आपका अधिकार (Your Money,Your Right)** नामक जनजागरूकता अभियान दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को गांधीनगर, गुजरात से माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा शुभारंभ किया गया है। राज्य में अब तक 8 कैंप आयोजित हुए, जिनमें 10,877 व्यक्तियों को ₹18.86 करोड़ वापस दिलाया गया है।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- सभी बैंक अपने ग्राहकों से सक्रिय रूप से संपर्क स्थापित करें तथा उन्हें आर.बी.आई. के UDGAM पोर्टल की उपयोगिता एवं प्रक्रिया के बारे में अवगत कराएं।
- राज्य के सूचना विभाग के साथ समन्वय कर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक नागरिकों तक जानकारी पहुंच सके।
- बैंकिंग सलाहकार यह सुनिश्चित करें कि अनक्लेमड जमा एवं वित्तीय परिसंपत्तियों पर सरकार का कुल दावा (Government Claim) कितना है, इसकी संपूर्ण जानकारी सभी बैंकों से संकलित करें तथा उसका सम्यक विश्लेषण कर विस्तृत प्रतिवेदन शासन को शीघ्र उपलब्ध कराए।

(कार्यवाही : समस्त बैंक / बैंकिंग सलाहकार)

3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत ऑडियो–वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था हेतु बैंकिंग संस्थानों का सहयोग

अपर सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** के तहत अधिसूचना **संख्या – 1137** दिनांक 18.12.2024 के अनुसार न्यायिक कार्यवाही में साक्षियों की परीक्षा ऑडियो–वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराए जाने हेतु नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इस संदर्भ में गृह विभाग द्वारा सभी जनपदों से बैंक परिसरों में उपलब्ध अथवा स्थापित किए जा सकने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। यह भी अवगत कराया गया कि जनवरी, 2026 में न्याय–श्रुति सॉफ्टवेयर का शुभारंभ प्रस्तावित है, जिसके लिए सभी जिला मुख्यालयों में आवश्यक ऑडियो–वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का स्थापित एवं कियाशील होना अनिवार्य है।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- सभी जनपदों के अग्रणी जिला प्रबंधक अपने कार्यालय में समर्पित ऑडियो–वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा स्थापित करें तथा उसे अधिसूचित केंद्र के रूप में निर्धारित करते हुए इसकी पुष्टि एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड को प्रेषित करें। साथ ही, यदि जनपद में पहले से कोई ऑडियो–वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा केंद्र उपलब्ध है जिसे उक्त उद्देश्य हेतु उपयोग किया जा सकता है, तो इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए ताकि शासन को आवश्यक विवरण समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जा सके।
- प्रत्येक केंद्र हेतु जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक नोडल समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबंधक)

4. वार्षिक ऋण योजना 2025–26 :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत् अवगत कराया गया :

- वर्ष 2025–26 की वार्षिक एमएसएमई योजना का प्रारम्भिक लक्ष्य ₹29,307 करोड़ निर्धारित किया गया था, जिसे उद्योग संघ की अनुशंसा पर ₹ 2,135 करोड़ की वृद्धि के साथ संशोधित कर ₹31,441 करोड़ कर दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 के द्वितीय त्रैमास में फार्म सेक्टर अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 18892.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 4604.00 करोड़ (24%) तथा एम.एस.एम.ई. सेक्टर अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 29307.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 14724.00 करोड़ (50%) की प्रगति दर्ज की गयी है।

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India SBI SLBC, AO-3

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)

- वित्तीय वर्ष 2025–26 के द्वितीय त्रैमास में वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 53169.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 19950.00 करोड़ (37%) की प्रगति दर्ज की गयी है।

- कृषि जोत के क्षेत्र में लगभग 13% की वृद्धि दर्ज की गई है, किंतु कुल कृषि क्षेत्रफल में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में 5.7 लाख हैक्टेयर उपलब्ध कृषि भूमि घटकर वर्ष 2025 में 4.3 लाख हैक्टेयर रह गई है, जो लगभग 27% की कमी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादकता में लगभग 15% की गिरावट दर्ज की गई है, जो क्षेत्र की समग्र प्रगति के लिए चिंता का विषय है।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- नाबार्ड एवं कृषि विभाग संयुक्त रूप से कृषि भूमि संकुचन, उत्पादकता ह्रास तथा क्षेत्रीय विविधताओं के संदर्भ में क्षेत्रवार समीक्षा एवं सुधार योजना तैयार कर शासन को प्रेषित करें ताकि राज्य में कृषि क्षेत्र की स्थिरता एवं वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

(कार्यवाही : नाबार्ड / कृषि विभाग)

5. ऋण जमा अनुपात :

- राज्य का ऋण–जमा अनुपात 54.26 प्रतिशत से बढ़कर 54.40 प्रतिशत हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आगामी दो वर्षों में सीडी रेशियो को 60 प्रतिशत तक पहँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया कि वित्तीय समावेशन सूचकांक, 2024 के अनुसार बागेश्वर जनपद उपयोग मानकों (Usage Parameters) के आधार पर राज्य के उन जनपदों में शामिल है जो राष्ट्रीय स्तर पर निम्नतम 10 प्रतिशत श्रेणी मे आते हैं। अतः बागेश्वर जनपद की स्थिति का जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विशेष अध्ययन किए जाने का निर्णय लिया गया, ताकि कारणों की गहन समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इस प्रकार का अध्ययन उन सभी जिलों (टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, बागेश्वर) में भी किया जाए जहाँ ऋण–जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है।

(कार्यवाही : समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक / सम्बन्धित विभाग)

6. बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित गाँव :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- दिनांक 07.10.2023 को आयोजित अंतर राज्य परिषद, सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की 24वीं बैठक की कार्यसूची के अनुसार राज्य के कुल 103 गाँव बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित थे जिनकी संख्या अब घटकर केवल 10 रह गई हैं।

अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- शेष 10 गाँव प्रवासी (Migrated) हैं एवं इनकी जनसंख्या सीमित है, जिससे इन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता सीमित प्रतीत होती है। अग्रणी जिला बैंक, पिथौरागढ द्वारा बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित 10 गांवों के निवासियों के साथ बैठक / वार्ता कर तथ्यात्मक जानकारी एवं आँकड़ों का संकलन किया जाए, जिससे वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जा सके कि इन गाँवों मे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है या नही। इसके लिए एस0एल0बी0सी0 के माध्यम से अग्रणी जिला प्रबंधक, अग्रणी बैंक पिथौरागढ़ को निर्देशित किया जाए कि वे उक्त विषय पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उक्त विषय को आगामी DLRC/DCC बैठक में एजेंडा के रुप में प्रस्तुत करते हुए, प्राप्त अनुशंसाओं (Recommendation) सहित विस्तृत प्रतिवेदन / रिपोर्ट शासन को प्रेषित करें, जिससे तदनुसार शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक)

7. सरकार प्रायोजित ऋण योजनायें :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- वित्तीय वर्ष 2025–26 के द्वितीय त्रैमास में स्टेड–अप योजना अंतर्गत 100%, ए.आई.एफ. में 48%, VCSGSY, गैर–वाहन में 17%, VCSGSY, वाहन में 15%, पी.एम. अजय योजना अंतर्गत 17%, मुद्रा में 16%, पी.एम.एफ.एम.ई. में 6%, एन.आर.एल.एम. में 2%, एस.सी.पी. (अल्पसंख्यक) में 2%, होम स्टे में 10%, की प्रगति दर्ज की गयी है।

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)
Generated from eOffice by NARENDRA KUMAR, Institutional Finance Cell Advisor Banking NK, ADVISOR BANKING, Finance Department on 06/01/2026 12:01 PM

- दिनांक 30.06.2025 तक पी.एम.ई.जी.पी. योजना अंतर्गत मार्जिन मनी वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 19.56 करोड़ के सापेक्ष बैंकों द्वारा रु. 4.64 करोड़ की राशि क्लेम की गयी है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 24% है। अतः विभाग से आग्रह है कि वे मार्जिन मनी क्लेम राशि का बैंकों को भुगतान करने का कष्ट करें।
- समस्त सम्बन्धित विभागों से आग्रह है कि वे योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के 150 प्रतिशत ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें।

अपर सचिव, पयर्टन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना विषयक सदन को निम्नवत् अवगत कराया गया :

- योजना अंतर्गत कुछ बैंकों एवं जनपदों में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की संख्या अधिक है जिसमें कुछ आवेदन अंतिम वर्ष के भी शामिल है।
- बैंकों से आग्रह है कि वे लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का यथा समय सीमा में निस्तारण करें।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- विभाग, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना अंतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रो की बैंक–वार तथा शाखा–वार सूची, एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें, ताकि सम्बन्धित बैंक नियंत्रकों को सूची प्रेषित कर अनुवर्ती (follow-up) कार्यवाही की जा सके।
- जिन योजनाओं में बढ़े हुए लक्ष्य की तुलना में राज्य बजट में समुचित सब्सिडी उपलब्ध नहीं है, उन योजनाओं के लिए विभाग लक्ष्य यथार्थवादी एवं बजट–समर्थित रखें तथा बिना वित्तीय प्रावधान के अत्यधिक लक्ष्य न निर्धारित करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक / संबंधित विभाग)

8. एम.एस.एम.ई. केडिट गैप एवं ऋण–जमा अनुपात :

अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा निम्नवत् सुझाव दिए गए :

- राज्य में कुल 4,05,649 एम.एस.एम.ई. इकाइयाँ पंजीकृत हैं, परंतु इनमें से केवल 61,607 इकाइयाँ ही बैंक क्रेडिट से जुड़ी हुई हैं। जिसके कारण औपचारिक ऋण की पहुँच सीमित है। बैंक क्रेडिट की कम पहुँच के परिणामस्वरूप राज्य के ऋण–जमा अनुपात में असंतुलन देखा गया है ।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- एम.एस.एम.ई. आउटरीच कार्यकमों का विस्तार किया जाए।
- वित्तीय साक्षरता हेतु व्यापक अभियान चलाया जाए।
- पंजीकृत एम.एस.एम.ई. का डेटा, बैंकों के साथ साझा किया जाए।
- पर्वतीय जिलों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष केडिट रणनीति तैयार की जाए।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/ इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखंड/ संबंधित विभाग)

9. शिक्षा ऋण :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि 30 जून, 2025 तक कुल 3,371 शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए, 8,850 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा लगभग 26,000 ऋण ₹1,500 करोड़ के साथ प्रचलित हैं। सैचुरेशन स्तर कम होने के कारण बैंकों ने वंचित वर्गों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता व्यक्त की। PM विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर 547 शिक्षा ऋण आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें सर्वाधिक आवेदन हरिद्वार जिले में प्राप्त हुए।

अध्यक्ष, महोदय ने निर्देश दिए कि योजनांतर्गत प्रतिशत संतृप्ति वर्तमान में कम है। यदि किसी भी बैंक के पास इस संबंध में ठोस सुझाव या व्यवहारिक उपाय हों, तो उन्हें तत्काल एस.एल.बी.सी. को प्रेषित किया जाए, ताकि आगामी कार्ययोजना में समुचित रूप से सम्मिलित किया जा सके। साथ ही, जिलों में जागरूकता तथा loan–confidence कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India SBI SLBC, AO-3

10. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) :

एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बीमा कंपनियों द्वारा दावों (क्लेम) के निस्तारण में उल्लेखनीय अंतर देखा गया है जिसका मुख्य कारण राज्य शेयर (सब्सिडी) की लंबितता बताई गई। वित्तीय वर्ष 2023–24 की राज्य सब्सिडी लंबित होने के कारण नई प्रविष्टियाँ (एनरोलमेंट) समय पर प्रारंभ नहीं हो सकीं। यह भी बताया गया कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) रबी 2025 की बीमा अवधि 01 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक निर्धारित है। सभी बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया गया कि सभी पात्र के.सी.सी. खातों का शत–प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करें।

अनेक जिलों में, जहाँ एनरोलमेंट की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, सब्सिडी न मिलने के कारण अप्रैल में ही सब्सिडी की मांग भेजी गई थी, जो अभी तक अप्राप्त है। इसके परिणामस्वरूप 10 जिलों में किसानों के दावे लंबित हैं और राज्य में नई एनरोलमेंट प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- राज्य सरकार द्वारा लंबित सब्सिडी को शीघ्र जारी कराने हेतु कृषि एवं बागवानी विभाग, वित्त विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- बागवानी एवं कृषि विभाग एनरोलमेंट प्रक्रिया की निगरानी करें तथा अप्रैल–दिसंबर अवधि में लंबित सब्सिडी के कारण अवरूद्ध कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराएँ।

(कार्यवाही : कृषि विभाग/ बागवानी विभाग/ समस्त बैंक / बीमा कंपनियाँ)

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India SBI SLBC, AO-3 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रशासनिक कार्या-3

संयोजक एवं सहायक महाप्रबन्धक (भारतीय स्टेट बैंक)
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)